

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

31-3-21

पन्नावली पेच इव वकील वादी उपस्थित  
अन्य कोर्ट काश्य पेच नही कर वकील  
वशि काय बहस की गई बहस  
समाप्त पन्नावली की गई करते  
अदेश पन्नावली 22-4-21 को  
पेच दी।

22-4-21

पन्नावली पेच इव वकील वादी उपस्थित  
अदेश सुनाया गया वादी का ब्या  
भायें स्विकार किया जकर जमाना  
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया  
जाकर शारील पन्नावली किया गया  
पकरा नियमानुसार निर्णय छेक  
तहलीलदार इन्टरग को पार्ले पोषित किया  
गया की अर: निर्णय। ईकी की पार्ले  
तहलीलदार इन्टरग को पोषित की जावे  
पन्नावली कैसल शुगर होकर कए तहलील  
दाखिल दपतर ही।

उपसण्ड अधिकारी  
भारती (दुबई)



न्याय

12

181

303

7-5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज०)

12/दावा/2021

दायरा दिनांक 07.01.2021

पीठासीन अधिकारी  
श्री प्रमोद कुमार(R.A.S.)

- 1 बद्रीलाल आ० भोलू जाति रेबारी निवासी डागांहेडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
- 2 देशराज आ० भोलू जाति रेबारी निवासी डागांहेडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
- 3 नाजु बाई आ० भोलू जाति रेबारी निवासी डागांहेडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी  
(राज०)

—बनाम—

...वादीगण

- 1 स्टेट ऑफ राजस्थान जयें तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज०)

...प्रतिवादी

वाद - खातेदारी घोषणा व रिकार्ड में अंकन

अन्तर्गत धारा 88,89 आर०टी०एक्ट

निर्णय

दिनांक 22.04.2021

वादी ने अन्तर्गत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा नं० 306 रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम डागांहेडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में विस्थित है। इस कृषि भूमि खसरा नं० 306 रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा में से 10 बीघा कृषि भूमि का बाबूलाल आ० भोलू रेबारी निवासी डागांहेडी को सन 1977 को आवंटन हुआ है। एवं आवंटी का कब्जा था व इसी अनुसार वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त है तथा आवंटी का सन 1977 से लगातार कब्जा था। उक्त कृषि भूमि पर सेटलमेंट कार्य सम्पन्न हुआ जो सन 1995 से 2015 है जिसके अनुसार नये खसरा नं० 779 रकबा 6.36 हैक्टेयर कायम हुए इसमें से 1.60 हैक्टेयर वादीगण के खाते में अंकित होनी है। लेकिन आवंटी की मृत्यु 20.10.2005 को हो चुकी है तथा आवंटी नाऔलाद है एवं इसके वैध उत्तराधिकारी वादीगण है। तथा आवंटी की मृत्यु के बाद वादीगण काबिज होकर काश्तकारी करते आ रहे हैं। मूल आवंटी खातेदार का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करना राजस्व


उपखण्ड अधिकारी  
लाखेरी (बून्दी)

तथा

कर्मचारियों का कर्तव्य है, किन्तु अंकन नहीं किया और खातेदार की मृत्यु हो चुकी है तथा पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 व 15 के अनुसार वादीगण उत्तराधिकारी है एवं अपना नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में अंकन करवाने के अधिकारी है।

आवंटन की शर्तों कि पालना आवंटी द्वारा पूर्ण रूप से की गई है तथा उक्त भूमि अनकमाण्ड एरिया में आती है जो कि निःशुल्क आवंटन है। मूल आवंटी की मृत्यु हो गई है। आवंटी के वारिसान वादीगण को कानूनन खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। आवंटन की शर्त मुताबिक गैरखातेदारी व गैर खातेदारी से खातेदारी अंकन का जो नियम है वे भी पूर्ण हो चुके हैं और आवंटन रूल्स के मुताबिक वादीगण खातेदार बन चुके हैं। खसरा नं० 779 रकबा 6.36 हैक्टेयर पुराने खसरा नं० 306 रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा में से 10 बीघा वाके ग्राम डागांहेडी पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। लेकिन वादीगण को आज दिनांक तक खातेदारी अधिकार नहीं मिले हैं। वादीगण इस बाबत उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार इन्द्रगढ़ को खातेदारी अधिकार देने बाबत कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। वादीगण द्वारा अन्तिम बार दिनांक 10.12.2020 को प्रतिवादी से खातेदारी अधिकार दिए जाने बाबत निवेदन किया गया, किन्तु प्रतिवादी द्वारा मना कर दिया गया एवं बेदखल करने की धमकी दी गई यही वाद कारण रहा। ओर अन्त में निवेदन किया गया कि कृषि भूमि खसरा सं. 779 रकबा 6.36 हैक्टेयर सिवायचक में से रकबा 1.60 हैक्टेयर वाके ग्राम डागांहेडी तहसील इन्द्रगढ़ पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण को कब्जे काश्त भूमि से बेदखल नहीं करें।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जयें सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पेशकार सरकार जवाब दावा प्रस्तुत कर आवंटन होना स्वीकार करते हुए कथन किया कि बाबू आ० भोलु जाति रेबारी निवासी डागांहेडी को खसरा नं० 306 रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि वाके ग्राम डागांहेडी में वर्ष 1977 में आवंटन हुई थी। आवंटी की मृत्यु होने से वादीगण आवंटी के वारिसान द्वारा साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर कार्यवाही किया जाना स्वीकार है। पेशकार सरकार द्वारा यह भी कथन किया गया कि आवंटन शर्तों की पालना एवं कब्जा काश्त के सम्बन्ध में साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने का भार वादी पर है।


  
उपखण्ड अधिकारी  
लाखेरी (बुन्दी)

साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में आवंटन हेतु आवेदन पत्र आवंटन आदेश दिनांक 25.10.1977 की सत्यापित प्रति, खसरा मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2022-2041, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 1 सम्वत् 2070-2073 पेश किए एवं खसरा मिलान क्षेत्रफल सन 1995-2015 एवं आवंटन सूची, आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रतिया पेश की है। एवं कब्जे बाबत खसरा परिवर्तनशील (पी-14) सम्वत् 2077 पेश किए गए हैं। पेनल्टी रशीद 91 का नोटिस की छायाप्रतिया सम्वत् 2077 पेश किए गए हैं एवं मौखिक साक्ष्य में वादी ने स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया है।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई वादी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवंटी बाबू लाल आ० भोलु को दिनांक 25.10.1977 में पुराने खसरा नं० 306 रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि वाके ग्राम डागांहेडी तहसील इन्द्रगढ में आवंटित हुई थी। आवंटी का कब्जा काशत होने पश्चात भी आवंटन का राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा अमल नहीं किया गया। आवंटी की लाऔलाद फौत होने से आवंटी के वारिस वादीगण को आवंटन भूमि को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।


हमारे द्वारा वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सत्यापित प्रति आवंटन आदेश दिनांक 25.10.1977 से स्पष्ट है कि आवंटी बाबू लाल आ० भोलु जाति रेबारी निवासी डागांहेडी तहसील इन्द्रगढ को खसरा नं० 306 रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि आवंटन की गई थी आवंटी बाबू लाल आ० भोलु लाऔलाद दिनांक 20.10.2005 को हो चुकी है। वादीगण द्वारा वारिस के रूप में आवंटी की आवंटन भूमि पर कब्जे अनुसार अधिकार घोषणा खातेदारी चाही गई है। वादीगण द्वारा कब्जे बाबत सम्वत् 2077 की (पी-14) 1 वर्ष पेश की गई है। वादीगण द्वारा कब्जे बाबत पूर्ण साक्ष्य दस्तावेज एवं वारिसान के दस्तावेज के अभाव में वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

3

  
उपखण्ड अधिकारी  
लाखेरी (बून्दी)

अतः वादीगण का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रति प्रेषित किया जाता है कि आवंटित भूमि अनकमाण्ड एरिया की होने से एवं आवंटी द्वारा आवंटन नियम 1970 की शर्तों का पूर्ण पालना करने पर तहसीलदार स्वयं नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज करने में सक्षम है, अतः तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश दिया जाता है कि आवंटी के वारिसान एवं आवंटी द्वारा आवंटन नियम 1970 की शर्तों की पालना एवं कब्जे का साक्ष्य दस्तावेज लिया जाकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
सुपुखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
लाखेरी (बून्दी)  
लाखेरी (बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इत्तादाई

(O 20, Rr 6, 7)

(Civil Procedure Code Appendix D)

अज अदालत ..... उपखण्ड अधिकारी ..... मुकाम ..... लाखेरी  
व इजलास ..... श्री प्रमोद कुमार (आर. ए. एस.) .....  
बद्री आओ भोलु जाति रेबारी निवासी बनाम 1 राजस्थान राज्य सरकार जयें तहसीलदार इन्द्रगढ़  
डागांहेडी तहसील इन्द्रगढ़ (वादीगण) (प्रतिवादी)  
वगैरह

दावा बाबत 88,89 आरओ टीओ एक्ट एक्ट .....

मुकदमा नम्बर ..... 12 / दावा / 2021 ..... सन ..... 2021 .....  
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू ..... हमरे ..... व हाजिरी

श्री महेन्द्र कुमार रेबारी एडवोकेट ..... मिनजानिब मुद्ई रुबरू ..... पैरोकार सरकार .....  
मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि  
वादीगण का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रति प्रेषित किया  
जाता है कि आवंटित भूमि अनकंमाण्ड एरिया की होने से एवं आवंटी द्वारा आवंटन नियम 1970 की शर्तों  
का पूर्ण पालना करने पर तहसीलदार स्वयं नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज करने में सक्षम  
है अतः तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश दिया जाता है कि आवंटी के वारिसान एवं आवंटी द्वारा आवंटन  
नियम 1970 की शर्तों की पालना एवं कब्जे का साक्ष्य दस्तावेज लिया जाकर प्रकरण का नियमानुसार  
निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

..... मुबलिंग ..... बाबत ..... खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद  
बशरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी  
तक ..... का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..... 22 ..... माह .. 04 ... सन ..  
2021 ..... को जारी की गई।

मुहर		दस्तखत			
		ओहदा			
मुद्ई		रूपया	पैसे	मुदायलह	
1. स्टाम्प अजीदावा				1. स्टाम्प अजीदावा	रूपया
2. स्टाम्प वकालतनामा				2. स्टाम्प अजी	पैसे
3. स्टाम्प वजह सबूत				3. महनताना वकील	
4. महनताना वकील				4. खर्चा गवाहोन	
5. खर्चा गवाहोन				5. फीस कमिस्तर	
6. फीस कमिस्तर				6. बाबत इजराय हुक्मनामा	
7. बाबत इजराय हुक्मनामा				7. मुत्तफरिक	
मीजान				मीजान	

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

  
उपखण्ड अधिकारी  
लाखेरी (बून्दी)